

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/पी.एम.सी.(कार्य)-82/2010-11.....5892 / राँची, दिनांक: 9-6-14 /

-: अधिसूचना :-

झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग विकास सोसाईटी (झारवाटर) का गठन परामर्शी परिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2013 के मद सं.-07 एवं दिनांक 26.03.2013 के मद सं.-07 में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2245 दिनांक 15.04.2013 द्वारा किया गया है। झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाईटी (झारवाटर) का निबंधन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन 1860, एक्ट 21 के तहत दिनांक 17.06.2013 को किया गया है।

2. संगम अनुच्छेद एवं समझौता ज्ञापन पत्र झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाईटी(परिशिष्ट-I) कि अनुच्छेद-33(i) एवं अनुच्छेद 16(ख) के आलोक में झारवाटर संस्था के General Body (आम सभा) संरचना में विभागीय संकल्प संख्या-5778 दिनांक 29.05.2014 द्वारा संशोधन किया गया है।
3. संकल्प संख्या-5778 दिनांक 29.05.2014 के कंडिका-03(iii) में झारवाटर के General Body (आम सभा) के अन्तर्गत पूर्व में नामित सदस्यों के अतिरिक्त माननीय मंत्री (जल संसाधन) द्वारा दो विधायक को सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय लिया गया है।
4. संकल्प संख्या-5778 दिनांक 29.05.2014 के कंडिका-03(iii) के आलोक में माननीय मंत्री (जल संसाधन) द्वारा झारवाटर के General Body (आम सभा) के अंतर्गत सदस्य के रूप में दो माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह यादव एवं श्री जगन्नाथ महतो को मनोनीत किया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)

पत्रांक : 03/पी.एम.सी.(कार्य)-82/2010-11.....5892 / राँची, दिनांक: 9-6-14 /
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ अभिलेख हेतु जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को उपलब्ध करायें।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक : 03/पी.एम.सी.(कार्य)-82/2010-11.....5892/रॉची, दिनांक: 9-6-14/
प्रतिलिपि:-श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स.वि.स./ श्री जगन्नाथ महतो, माननीय
स.वि.स. को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक : 03/पी.एम.सी.(कार्य)-82/2010-11.....5892/रॉची, दिनांक: 9-6-14/
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण
कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त
सचिव(दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव,
मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड
रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड रॉची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/
प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा
परियोजना, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/
सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड
रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबंध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी
संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल
संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 04, 05, 06,
07ब., 07यो. एवं 08ए. बी. एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)